

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली-110001

सं.3/4/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/वाल्सूम-1/2016

दिनांक: 17 मई, 2017

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2017- नाम-निर्देशन प्ररूप 2क, 2ख, 2ग, 2घ एवं 2ङ तथा प्ररूप 26 में शपथ-पत्र में संशोधन-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न नाम-निर्देशन प्ररूप 2क, 2ख, 2ग, 2घ एवं 2ङ तथा प्ररूप 26 राजपत्र अधिसूचना का.आ. 1133 (अ.), दिनांक 7 अप्रैल, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा संशोधित किए गए हैं। इस अधिसूचना के द्वारा नाम-निर्देशन प्ररूप 2क तथा 2ख के भाग IIIक तथा नाम-निर्देशन प्ररूप 2ग, 2घ एवं 2ङ के भाग IIक में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्ररूप 26 के भाग क में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:-

(क) पैरा(3) के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो)..... है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो)

(i) (ii) (iii) है/हैं।

(ख) पैराग्राफ (9) के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(9क) आय के स्रोत (स्रोतों) के ब्योरे:

(ग) स्वयं

(घ) पति/पत्नी

उपर्युक्त संशोधन के बारे में राज्य सभा निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी सहित सभी रिटर्निंग अधिकारियों को और अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में आधारित राजनीतिक दलों को कृपया तत्काल संसूचित किया जाए।

भवदीय

ह०/-
(एन.टी.भुटिया)
अवर सचिव

2

विन्दी सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1007] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939
No. 1007] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

विधि और न्याय संचालन

(विधायी विभाग)

अभिप्रेत

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2017

का.सं. 1133(अ)—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 33 के साथ चर्चित धारा 169 द्वारा प्रदात अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और निर्वाचन अधिनियम से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख की प्रकृत होंगे।
2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्रकरण 2क, के भाग 3क में,—
(क) विद्यमान पैरा को उसके उप-पैरा (1) के रूप में संशोधित किया जाएगा;
(ख) उस प्रकार संशोधित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतर्भावित किए जाएंगे; अर्थात्—
“(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई नाम का पद धारण कर रहा है?(हां/नहीं)
—यदि हाँ, धारित पद के ब्यौरे.....
(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवंगत घोषित किया गया है?.....(हां/नहीं)
—यदि हाँ, क्या उसे दिवंगत घोषण से उन्मोचित कर दिया गया है?.....
(4) क्या अभ्यर्थी किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठ या अनुपतिक के अधीन है?.....(हां/नहीं)
—यदि हाँ, क्यों? (सिद्ध).....
(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निर्दोष किया गया है?.....(हां/नहीं)
—यदि हाँ, निर्दोष किए जाने की अवधि.....
(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान ब्रह्मचार या अवधि के लिए परबन्धित किया गया है?.....(हां/नहीं)
—यदि हाँ, ऐसी बन्धन की तारीख.....

3

- (7) क्या अल्पसंख्यक या तो व्यक्ति हेतु नियम में वा न्याय द्वारा वा भारतीयों द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अतिरिक्त सविदा (संवित्त) रखता है जिसमें (जिनमें) अल्पसंख्यक वा उन सरकार को किसी मात्र के प्रयोग के लिए वा उन सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए सेवर रखता है ?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अतिरिक्त सविदा (ओं) के ब्यक्ति.....
- (8) क्या अल्पसंख्यक ऐसी किसी कंपनी वा निगम (सहाकारी गैर-सहाकारी के बिना) वा प्रबंधकीय अधिकारों वा प्रबंधक वा अधिकारी है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार वा राज्य सरकार पश्चिम प्रतिशत में कम सेवर नहीं रखती है ?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उनके ब्यक्ति.....
- (9) क्या अल्पसंख्यक अयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निर्दिष्ट किया गया है ?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, निर्दिष्ट की शर्तें.....
3. उक्त विधियों के, प्रकरण 2ख, के भाग 3क में,-
- (क) विद्यमान पैरा को उनके उप-पैरा (1) के रूप में संशोधित किया जाएगा;
- (ख) इस प्रकार संशोधित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्:-
- * (2) क्या अल्पसंख्यक भारत सरकार वा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है?(हां/नहीं)
-यदि हां, धारण पद के ब्यक्ति.....
- (3) क्या अल्पसंख्यक किसी न्यायालय द्वारा दिवसिका घोषित किया गया है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, क्या उसे विचारविधान से उन्मोक्त कर दिया गया है.....
- (4) क्या अल्पसंख्यक किसी विदेशी देश के साथ राजनिर्यात वा अनुपस्थिति के अधीन है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, न्यारी शर्तें.....
- (5) क्या अल्पसंख्यक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निर्दिष्ट किया गया है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, निर्दिष्ट किए जाने की शर्तें.....
- (6) क्या अल्पसंख्यक भारत सरकार वा किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान अज्ञानता वा अनधिकार के लिए पदभ्रष्ट किया गया है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, ऐसी पदभ्रष्ट की शर्तें.....
- (7) क्या अल्पसंख्यक या तो व्यक्ति हेतु नियम में वा न्याय द्वारा वा भारतीयों द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अतिरिक्त सविदा (संवित्त) रखता है जिसमें (जिनमें) अल्पसंख्यक वा उन सरकार को किसी मात्र के प्रयोग के लिए वा उन सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए सेवर रखता है ?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अतिरिक्त सविदा (ओं) के ब्यक्ति.....
- (8) क्या अल्पसंख्यक ऐसी किसी कंपनी वा निगम (सहाकारी गैर-सहाकारी के बिना) वा प्रबंधकीय अधिकारों वा प्रबंधक वा अधिकारी है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार वा राज्य सरकार पश्चिम प्रतिशत में कम सेवर नहीं रखती है ?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उनके ब्यक्ति.....
- (9) क्या अल्पसंख्यक अयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निर्दिष्ट किया गया है ?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, निर्दिष्ट की शर्तें.....
4. उक्त विधियों के, प्रकरण 2ख के, भाग 2 में,-
- (क) विद्यमान पैरा को उनके उप-पैरा (1) के रूप में संशोधित किया जाएगा;
- (ख) इस प्रकार संशोधित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्:-
- * (2) क्या अल्पसंख्यक भारत सरकार वा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है?(हां/नहीं)
-यदि हां, धारण पद के ब्यक्ति.....
- (3) क्या अल्पसंख्यक किसी न्यायालय द्वारा दिवसिका घोषित किया गया है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, क्या उसे विचारविधान से उन्मोक्त कर दिया गया है.....

(4)

(4) क्या अन्धवीर किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुपतिके अधीन है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, क्योंरे ईकिए.....

(5) क्या अन्धवीर राष्ट्रपतिके आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8के अधीन निरह्वित किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, निरह्वित किए जाने की अवधि.....

(6) क्या अन्धवीर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पर धारण के दौरान असाधारण या अस्थितिके लिए परच्युत किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी परच्युतिकी तारीख.....

(7) क्या अन्धवीर या जो व्यक्ति हैसियत में या त्याग द्वारा या प्राणीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अतिरिक्तवात संबिधा (संबिधाएं) रखता है जिनमें (जिनमें) अन्धवीर का उक्त सरकार को किसी मान के प्रदाय के लिए या उक्त सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए श्रेयर रखता है ?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अतिरिक्तवात संबिधा (जो) के अधीरे.....

(8) क्या अन्धवीर ऐसी किसी कंपनी या नियम (सहाकारी मोसाइटी से बिध) का प्रबंधकीय अधिकारी या प्रबंधक या संबिध है जिसकी मुंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पश्चिम प्रतिष्ठत से कम श्रेयर नहीं रखती है ?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके अधीरे.....

(9) क्या अन्धवीर आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10के अधीन निरह्वित किया गया है ?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, निह्वित की तारीख.....

5. उक्त नियमों के, प्ररूप 2के के, भाग 2 में,-

(क) विद्यमान पैरा.को उसने उप-पैरा (1) के रूप में संशोधित किया जाएगा,

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा संशोधित किए जाएंगे, यथा:-

*(2) क्या अन्धवीर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई साथ का पर धारण कर रहा है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पर के अधीरे.....

(3) क्या अन्धवीर किसी न्यायानय द्वारा दिवानिया पतेपित किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवानियापान में उन्मोचित कर दिया गया है.....

(4) क्या अन्धवीर किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुपतिके अधीन है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, अधीरे ईकिए.....

(5) क्या अन्धवीर राष्ट्रपतिके आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8के अधीन निरह्वित किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, निरह्वित किए जाने की अवधि.....

(6) क्या अन्धवीर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पर धारण के दौरान असाधारण या अस्थितिके लिए परच्युत किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी परच्युतिकी तारीख.....

(7) क्या अन्धवीर या जो व्यक्ति हैसियत में या त्याग द्वारा या प्राणीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अतिरिक्तवात संबिधा (संबिधाएं) रखता है जिनमें (जिनमें) अन्धवीर का उक्त सरकार को किसी मान के प्रदाय के लिए या उक्त सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए श्रेयर रखता है ?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अतिरिक्तवात संबिधा (जो) के अधीरे.....

(8) क्या अन्धवीर ऐसी किसी कंपनी या नियम (सहाकारी मोसाइटी से बिध) का प्रबंधकीय अधिकारी या प्रबंधक या संबिध है जिसकी मुंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पश्चिम प्रतिष्ठत से कम श्रेयर नहीं रखती है ?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके अधीरे.....

(9) क्या अन्धवीर आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10के अधीन निरह्वित किया गया है ?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, निह्वित की तारीख.....

6. उक्त नियमों के, प्रकृप 207, के, भाग 2 में,

(क) नियमयान पैरा जो उसके उप-पैरा (1) के रूप में संशोधित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) क्या अल्पसंख्यी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई तालम वा पर धारण कर रखा है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पर के ब्यौरे.....

(3) क्या अल्पसंख्यी किसी साधारण द्वारा विधानिका घोषित किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे विधानिकापत्र में उल्लेखित कर दिया गया है.....

(4) क्या अल्पसंख्यी किसी राष्ट्रीय सेवा के प्रति राजविज्ञा वा अनुपनि के अधीन है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, ब्यौरे संक्षिप्त.....

(5) क्या अल्पसंख्यी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 86 के अधीन निरद्विष्ट किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, निरद्विष्ट किए जाने की अवधि.....

(6) क्या अल्पसंख्यी भारत सरकार वा किसी राज्य की सरकार द्वारा पर धारण के दौरान ब्रह्मचार वा अर्थिक के लिए परबन्धन किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी परबन्धन की शारीर.....

(7) क्या अल्पसंख्यी वा जो ब्यक्ति हैसियत में या न्याय द्वारा वा भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अतिव्ययन संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिसमें) अल्पसंख्यी वा उस सरकार को किसी बात के उपाय के लिए वा उस सरकार द्वारा किए संकर्म के विचारान के लिए लेबर रखता है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अतिव्ययन संविदा (ओं) के ब्यौरे.....

(8) क्या अल्पसंख्यी ऐसी किसी कंपनी वा निगम (सहकारी सोसाइटी से चिन्न) वा प्रबंधकीय अधिकारों वा प्रबंधन वा अधिकारों के लिए में केन्द्रीय सरकार वा राज्य सरकार पञ्जीय प्रतिष्ठत में कम लेबर नहीं रखती है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उनके ब्यौरे.....

(9) क्या अल्पसंख्यी समीप द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 106 के अधीन निरद्विष्ट किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, निरद्विष्ट की शारीर.....

7. उक्त नियमों के, प्रकृप 208 के, भाग 2 में,

(क) पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(3) मेरा/मेरे अपने दूरभाष संख्या/संख्याएं हैं/हैं और मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है

क्या

(i) (ii) (iii) मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) हैं/हैं।

(ख) पैरा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(9) काम के खंड (सोरो) के ब्यौरे:

(क) स्वयं.....

(ख) परिवारजी.....”

[क्र. सं. एच-11019/13/2016-नि. II]

डॉ. रीता बलिष्ठ, अपर सचिव

साव धियम : दून नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में का.आ. संख्या 859, तारीख 15 अक्टूबर, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. संख्या 3263(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2017

S.O. 1133(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 read with section 33 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government after consulting the Election Commission hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), in FORM 2A, in PART IIIA,—
 - (a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof;
 - (b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:—
 - (2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?.....(Yes/No)
—If Yes, details of the office held.....
 - (3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?.....(Yes/No)
—If Yes, has he been discharged from insolvency.....
 - (4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?.....(Yes/No)
—If Yes, give details.....
 - (5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?.....(Yes/No)
—If Yes, the period for which disqualified.....
 - (6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?.....(Yes/No)
—If Yes, the date of such dismissal.....
 - (7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?.....(Yes/No)
—If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s).....
 - (8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central Government or State Government has not less than twenty-five percent share?.....(Yes/No)
—If Yes, with which Government and the details thereof.....
 - (9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act.....(Yes/No)
—If Yes, the date of disqualification.....
3. In the said rules, in FORM 2B, in PART IIIA,—
 - (a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof;
 - (b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:—
 - (2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?.....(Yes/No)
—If Yes, details of the office held.....

- (3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?.....(Yes/No)
-If Yes, has he been discharged from insolvency.....
- (4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?.....(Yes/No)
-If Yes, give details.....
- (5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?.....(Yes/No)
-If Yes, the period for which disqualified.....
- (6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?.....(Yes/No)
-If Yes, the date of such dismissal.....
- (7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to the Government or for execution of works undertaken by the Government?.....(Yes/No)
-If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s).....
- (8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central Government or State Government has not less than twenty-five percent share?.....(Yes/No)
-If Yes, with which Government and the details thereof.....
- (9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act.....(Yes/No)
-If yes, the date of disqualification.....

4. In the said rules, in FORM 2C, in PART II—

(a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof,

(b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely—

- (1) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?.....(Yes/No)
-If Yes, details of the office held.....
- (2) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?.....(Yes/No)
-If Yes, has he been discharged from insolvency.....
- (3) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?.....(Yes/No)
-If Yes, give details.....
- (4) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?.....(Yes/No)
-If Yes, the period for which disqualified.....
- (5) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?.....(Yes/No)
-If Yes, the date of such dismissal.....
- (6) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to the Government or for execution of works undertaken by the Government?.....(Yes/No)
-If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s).....
- (7) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central Government or State Government has not less than twenty-five percent share?.....(Yes/No)
-If Yes, with which Government and the details thereof.....

(9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act(Yes/No)

-If yes, the date of disqualification....."

5. In the said rules, in FORM 2D, in PART II,—

(a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof;

(b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:—

"(2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?.....(Yes/No)

-If Yes, details of the office held....."

(3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?.....(Yes/No)

-If Yes, has he been discharged from insolvency....."

(4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?.....(Yes/No)

-If Yes, give details....."

(5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?.....(Yes/No)

-If Yes, the period for which disqualified....."

(6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?.....(Yes/No)

-If Yes, the date of such dismissal....."

(7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to the Government or for execution of works undertaken by that Government?.....(Yes/No)

-If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s)....."

(8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the Central Government or State Government has not less than twenty-five percent share?.....(Yes/No)

-If Yes, with which Government and the details thereof....."

(9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act(Yes/No)

-If yes, the date of disqualification....."

6. In the said rules, in FORM 2E, in PART II,—

(a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof;

(b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:—

"(2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?.....(Yes/No)

-If Yes, details of the office held....."

(3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?.....(Yes/No)

-If Yes, has he been discharged from insolvency....."

(4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?.....(Yes/No)

-If Yes, give details....."

(5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?.....(Yes/No)

-If Yes, the period for which disqualified....."

- (6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?.....(Yes/No)
-If Yes, the date of such dismissal.....
- (7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?.....(Yes/No)
-If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s).....
- (8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central/ Government or State Government has not less than twenty-five percent share?.....(Yes/no)
-If Yes, with which Government and the details thereof.....
- (9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act(Yes/No)
-If yes, the date of disqualification.....

7. In the said rules, in FORM 26, in PART A,—

- (a) for paragraph (3), the following paragraph shall be substituted, namely:—

“(3) My contact telephone number(s) is/are..... and my email ID (if any) is and my social media account(s) (if any) is/are (i) (ii) (iii)”

- (b) after paragraph (9), the following paragraph shall be inserted, namely:—

“(9A) Details of source(s) of income:

(a) Self

(b) Spouse”

[F. No. H-11019/13/2016-Leg. II]

Dr. REETA VASISHTA, Advt. Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 859, dated the 15th April, 1961 and last amended vide number S.O. 3263(E), dated the 21st October, 2016.